



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 177 राँची, गुरुवार,

23 मार्च, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

21 मार्च, 2023

विषय:- मिहिजाम नगर परिषद हेतु नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल रु. 4,70,68,909/- (चार करोड़ सत्तर लाख अड़सठ हजार नौ सौ नौ रुपये) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

संख्या-5/न०वि०/संस्थाओं के गठन-01/2018 / 1114--74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्र के नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत संकल्प है।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में आमजन को बेहतर नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित सुविधाओं से युक्त नये कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-160 दिनांक-26.12.2018 मिहिजाम नगर परिषद् सहित 04 शहरी स्थानीय निकायों में मॉडल प्राक्कलन के आधार पर नये कार्यालय भवन निर्माण हेतु कुल 2,64,48,300/- रुपये की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3. मिहिजाम नगर परिषद हेतु नये कार्यालय भवन निर्माण हेतु पूर्व में चिन्हित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर स्थनीय लोगों के विरोध किये जाने के कारण जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, जामताड़ा के ज्ञापांक-970 दिनांक-27.10.2020 द्वारा अंचल जामताड़ा, मौजा-बुटबेडिया, थाना नं.-17, खाता सं.-27, दाग सं.-587, रकबा-1.00 एकड़, किस्म-पुरातन पतित भूमि कार्यालय भवन हेतु विभाग को हस्तांतरित किया गया। इस भूखण्ड पर कार्यालय भवन निर्माण के क्रम में पाया गया कि भूखण्ड के एक छोर से दूसरे छोर में सतह का **Level Difference 12 से 14** फीट था। इस क्रम में संबंधित परियोजना प्रबंधन परामर्शी के सुझाव एवं मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुमोदन के उपरांत **Level Difference** के निदान हेतु कार्यस्थल के निचले सतह वाले भाग पर बिल्डिंग के लगभग आधे हिस्से में अतिरिक्त कमरा का निर्माण कर उसे **Basement Parking** एवं **Store/Record Room** के रूप में विकसित किया गया। साथ ही, कार्यालय भवन के मॉडल प्राक्कलन में **Boundary Wall** हेतु 60 मीटर लम्बे चाहरदीवारी का प्रावधान किया गया था जबकि आवश्यकतावश उक्त भूखण्ड पर कुल 240 मीटर लम्बे चाहरदीवारी का निर्माण किया गया।
4. उक्त कारणों से मिहिजाम कार्यालय भवन के प्राक्कलन को पुनरीक्षित किया गया एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-111, दिनांक-27.09.2021 द्वारा उक्त योजना हेतु कुल 3,74,76,000/- रु. के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
5. पुनः कार्यपालक पदाधिकारी, मिहिजाम नगर परिषद् के पत्रांक-279 दिनांक-11.03.2022 द्वारा विभाग को अवगत कराया गया कि उक्त योजना के कार्यान्वयन के दौरान कुछ मर्दों के मात्रा में वृद्धि होने के कारण योजना के अंतिम विपत्र की मापी के अनुसार 49,09,005/-रूपये (लगभग 13.10%) की वृद्धि/विचलन तथा योजना के पुनरीक्षण के उपरांत परियोजना प्रबंधन परामर्शी के परामर्शी शुल्क में 59,297/-रूपये की वृद्धि हुई है। साथ ही **SBD** के **Clause - 42** के अनुसार **Price Adjustment** के रूप में कुल 46,24,674/- रूपये की गणना की गयी है। इस प्रकार इन कारणों से योजना लागत में कुल 95,92,976/- रु. की वृद्धि हुई है।
6. कार्यपालक पदाधिकारी, मिहिजाम नगर परिषद् के पत्रांक-790 दिनांक-24.08.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त योजना के कार्यान्वयन के दौरान कुछ मर्दों के मात्रा में वृद्धि निम्नांकित कारणों से हुआ है:-
 - i) सुरक्षा के दृष्टि से भवन के सभी खिड़कियों में अल्युमिनियम स्लाइडर के बाहर से ग्रील लगाने का संवेदक को **Site Order Book** में दिनांक-29.09.2021 को निर्देश दिया गया।
 - ii) भवन की सभी खिड़कियों के **Sills** पर वर्षा के पानी का रिसाव को रोकने के दृष्टिगत टाइल्स लगाने का संवेदक को **Site Order Book** में दिनांक-29.09.2021 को निर्देश दिया गया।
 - iii) भवन में आपातकालिन स्थिति में अग्निशामक यंत्र को सुचारु रूप से चलाने हेतु अतिरिक्त बोरिंग करने का संवेदक को **Site Order Book** में दिनांक-29.09.2021 को निर्देश दिया गया।

- iv) अग्निशामक यंत्र को सुलभ रूप से संचालित करने हेतु कुछ सामग्री की मात्रा अपर्याप्त रहने के कारण उसे पूर्ण रूप से उपयोगी करने हेतु आवश्यक सामग्रियों को लगाने का संवेदक को **Site Order Book** में दिनांक-07.10.2021 को निर्देश दिया गया।
- v) भवन परिसर में जल निकासी की उचित व्यवस्था हेतु ढक्कन सहित नाली का निर्माण करने हेतु संवेदक को **Site Order Book** में दिनांक-16.11.2021 को निर्देश दिया गया।
- vi) नगर परिषद के नागरिकों एवं निकाय के जनप्रतिनिधियों के आवागमन के दृष्टिगत एक अतिरिक्त **Septic Tank with Soak pit** का निर्माण करने का संवेदक को **Site Order Book** में दिनांक-16.11.2021 को निर्देश दिया गया।
- vii) नये कार्यस्थल की सतह की **Level Difference** अधिक रहने के कारण निचले हिस्से में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाहरदीवारी की उँचाई को बढ़ाते हुए ग्रील लगाने हेतु संवेदक को **Site Order Book** में दिनांक-16.11.2021 को निर्देश दिया गया।
7. उक्त कारणों से मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 4,70,68,909/- रुपये के कुल द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के मूल प्राक्कलन एवं दोनों पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये गये हैं: -

SI No.	Description	Original Estimate	1 st Revised Estimate	2 nd Revised Estimate
1	Cost of office Building with basement (Basement only in both revise estimate)	15430088.55	21463476.01	25226942.12
2	Cost of Road	521826.00	521826.00	276309.92
3	Cost of Guard Room	198630.61	202556.86	261865.43
4	Cost of septic tank	262768.79	262177.96	438497.12
5	Cost of Internal and External Electrical work	2852951.40	2853645.11	2122937.91
6	Cost of Plumbing and fire fighting work	3460614.20	3207555.94	5143279.50
7	Cost of Boundary wall	368018.53	2807669.95	3217699.06
8	Cost of landscaping	0	1028979.47	0
9	Subtotal without GST	23094898.08	32347887.30	36687531.06
10	Add GST@12%	2771387.77	3881746.48	4402503.73
11	Subtotal with GST	25866285.85	36229633.78	41090034.79
12	Add Labour Cess @ 1%	258662	362296.34	410900.35
13	Add Price Adjustment as per Agreement	0	0	4624674.10
14	Add 1.22% DPR Consultancy Fee (@1.25)	323328.57	442001.53	442001.53
15	Add 1.22% PMC Consultancy Fee	0	442001.53	501298.42
16	Total Project Cost	26448276.42	37475933.18	47068909.19
17	Say	2644830	3,74,76,000.00	47068909.00

8. उक्त योजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन के प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत कुल 95,92,976/- अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, जिसका आवंटन वित्तीय वर्ष 2022-23 में शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा:-

“मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796/789-जनजातीय क्षेत्र उपयोग/अनुसूचित क्षेत्र विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-94-शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएं उप योजना शीर्ष 01-नगरीय परिवहन, जलापूर्ति, भवन, उद्यान एवं जलाशय योजनाएँ .विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)।”

9. योजना का कार्यान्वयन **PWD Code** के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
10. उक्त के आलोक में मिहिजाम नगर परिषद हेतु नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल रु. 4,70,68,909/-(चार करोड़ सत्तर लाख अड़सठ हजार नौ सौ नौ रुपये) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
11. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-15.03.2023 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव
